सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक
ANIL KUMAR CHOUDHARY
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

सत्यमेव जयते

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स (भाग-IV)

25 जुलाई, 2011

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव ।

विषयः राज्य स्तर पर एमपीलैड्स कार्यों का कार्यान्वयन तथा उनकी समीक्षा—प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सांसदों को आमंत्रित करते हुए बैठक करना ।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्य का नोडल विभाग मंत्रालय के साथ समन्वय तथा राज्य में एमपीलैड्स कार्यान्वयन का उचित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करेगा । इस आशय के लिए मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को वर्ष में कम से कम एक बार जिला प्राधिकारियों तथा सांसदों के साथ एमपीलैड्स कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए । नोडल विभाग के सचिव तथा अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी ऐसी बैठकों में भाग लेना चाहिए । यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार कम से कम उपसचिव/कार्यपालक अभियंता स्तर के अधिकारियों को प्राधिकृत करें जो अपने सरकारी क्षेत्रीय दौरे पर जाएं तो एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण तथा जिला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए एमपीलैड्स कार्यों की संख्या जांच लें व समीक्षा कर लें ।

2. यह भी बताया गया है कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ये समीक्षा बैठकें तथा निरीक्षण नहीं किए गए हैं । राज्य के नोडल विभाग द्वारा उचित तथा प्रभावी निरीक्षण किए बिना एमपीलैड्स योजना का सफल कार्यान्वयन नहीं हो सकता ।

3. सांसदों के साथ राज्य स्तर की समीक्षा बैठक तथा राज्य के नोडल विभाग के अधिकारियों द्वारा एमपीलैड्स कार्यों के निरीक्षण के महत्व के मद्देनजर यह पुनः दोहराया जाता है कि मुख्य सचिव स्तर की बैठक बुलायी जाए (प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार) जिसमें राज्य के सांसदों को आमंत्रित किया जाए तथा राज्य के नोडल विभाग द्वारा एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए । इस दिशा में होने वाली बैठक के कार्यवृत्त को इस मंत्रालय को भेजना अनिवार्य है ।

भवदीय,

(ए.के. चौधरी)